

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय सिद्धेश्वर मल्लिकार्जुन कृष्ण बनाम सुवाम
 केस संख्या 83/18

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	19/1/21	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दोरे/अ... के कारण कार्यवाही नही जा सकती। पत्रावली दिनांक <u>2/3/21</u> को पेश हो।
2/3/21	8/3/21	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्डोलेंस/... के कारण कार्यवाही नही जा सकती। पत्रावली दिनांक <u>3.9.3.1.2</u> को पेश हो।
3/3/21	30/3/21	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्डोलेंस/... के कारण कार्यवाही नही जा सकती। पत्रावली दिनांक <u>1/4/21</u> को पेश हो।
1/4/21		पत्रावली पेश हुई। वकील पेश कर उपस्थित वकील वादी ने पत्रावली पत्रावली 023/21 के पेश कर निवेदन किया कि वह उक्त शक्ति के सम्बन्ध में बरखाए शर्तों का होना ठीक वही पत्र वादी ने पत्रावली के मध्य बरखाए सम्बन्धित कोई विवाद शेष नहीं रहने वादी उक्त विवाद (बंवाले से निम्न) की स्थिति में बरखाए पेश करते की स्वतंत्रता (निम्न) उक्त करते हुए उक्त वादी पर वादी विद्वा करने की अनुमति उक्त की जाने। वादी स्वयं उपस्थित वादी की पहचान वकील की पुस्तिका शर्तों के अंतर्गत वकील वादी को उक्त पत्रावली पर

3/3/21
 2/3/21

हा-22/17
 I.D.


फर्द अहकाम

घांचु बनाम हेनाराम

दालय

सहायक कमिश्नर कर्ना 18 मयपूर

या

83/8

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------------------------	----------------------	-------------

पुनः 30/11/1954 पत्रावली का प्रकोष्ठ में एक
 कमील वाली को उक्त प्रकोष्ठ पर
 मुझे के पत्रवात कमील प्रकोष्ठ के
 ध्यान में रखे हुए कमील वाली का
 प्रस्ताव प्रकीर्ण पर वाड विडो सीमा
 विपणन पर वाड को विडो कले
 की अनुमति दी जाती है। कमील
 वाली का प्रकोष्ठ पर वाड विडो सी
 मा से सारे वाली खातेज विपण
 न जाता है। पत्रावली फौजल शुमार
 होकर वाड तकनीक दालिब रफत
 हो।

X

सहायक कमिश्नर कर्ना जिला मयपूर